संख्या-34/722/24-1-15-2709(बजट)/2012

प्रेषक:

सुरेश कुमार शर्मा,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 28 मार्च, 2015

विषयः-वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 में उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 को पारेषण कार्यो हेतु अंशपूॅजी मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-1029/पी0एस0डी0एफ0/2015, दिनांक 21.03.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 को पारेषण कार्यो हेतु अंशपूॅजी में ऊर्जा विभाग के लिए अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत विभिन्न मदों में रूपये 73,33,15,000/- (रूपये तिहत्तर करोड़ तैंतीस लाख पन्द्रह हजार मात्र) को संलग्नक बीएम-9 के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 लिए अनुदान संख्या- 83 के लेखाशीर्षक " 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूॅजीगत परिव्यय-आयोजनागत- 05- संचरण तथा वितरण- 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-03- उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 को पारेषण कार्यो हेतु अंशपूॅजी- 30- निवेश/ऋण में दिये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- प्रस्तर-1 में स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग वास्तविक आवश्यकता होने पर उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 को पारेषण कार्यो के लिए किया जायेगा। अवमुक्त धनराशि का उपयोग अन्य किसी कार्य हेतु कदापि नहीं किया जायेगा एवं उपयोग की गयी धनराशि का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण भी उपलब्ध कराया जायेगा।

3- प्रस्तर- 1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या- 426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

4- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश लखनऊ/ इलाहाबाद और ऊर्जा विभाग, तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- आयोजनागत मदों में स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में आयोजनेत्तर मदों में नहीं किया जायेगा।

6- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

7- स्वीकृति धनराशि का उपयोग/व्यय योजना आयेाग, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित एस0सी0एस0पी0/ टी0एस0पी0 के मानक व दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा। प्रयास यह करें कि ज्यद्दा से ज्यादा अनुसूचित जाति/ जनजाति को भी लाभ इस योजना से मिले।

8- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक "4801-बिजली परियोजनाओं पर पूॅजीगत परिव्यय-आयोजनागत-05-संचरण तथा वितरण-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-03- उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 को पारेषण हेतु अंशपूॅजी-30-निवेश/ऋण" के नामे डाला जायेगा तथा व्यय संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 (पार्ट-1) के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्ष में उपलब्ध बचतों से पुनर्विनियोग कर वहन किया जायेगा।

9- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10-यू0ओ0-64/दस-2015, दिनांक 28 मार्च, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

<u>संलग्नक:- यथोक्त।</u>

भवदीय,

(सुरेश कुमार शर्मा)
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या- /722(1)/24-1-15, तद्दिनांक</u>।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ), उ0प्र0 शासन।
2- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद 211001।
3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
6- बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण (बी0एम0 9 की प्रति सहित)
7- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(सुरेश कुमार शर्मा)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in